

MUNICIPAL CORPORATION - BHILAI

NIT

कार्य का नाम:- वार्ड 03 विनोबा नगर में मुख्य मार्ग से विनोबा नगर मुख्याम मार्ग के दोनों ओर, रामचंद्र नर्सरी से गायत्री डिपार्टमेंटल मार्ग एवं सूर्या अपार्टमेंट से शिवाजी चौक में वृक्षारोपण कार्य।

Non Sor

Sno	Particulars	Qty	Unit
1	Planting of 8 feet height plants. 1.50 feet dia stem (तना)	1490	Nos
2	Providing & fixing UV stablized unpalsticised Rigid PVC pipes (single sockted) having 3.2mm wall thickness 110. 6 Feet in height	1490	Nos
3	1 year Maintenance	12	Month

Signature

Signature
S/O

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

// नियम एवं शर्तें //

1. पौधा लगाने के पूर्व इंजीनियर इंचार्ज/उद्यान अधिकारी द्वारा पेड़ की क्वालिटी एवं प्रजाति का अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में पेड़ की गणना एवं भुगतान नहीं की जावेगी।
2. सभी पौधों का प्रकार, स्थल एवं संख्या का चयन इंजीनियर इंचार्ज/उद्यान अधिकारी के द्वारा किया जाएगा।
3. वृक्षारोपण का कार्य 60 दिन के अंदर पूर्ण करना है तत्पश्चात् 1 वर्ष तक संधारण एवं रखरखाव का कार्य किया जाना होगा।
4. संधारण एवं रखरखाव के समयावधि के दौरान पौधों का मृत होने पर पुनः वर्तमान स्थिति के ऊँचाई मोटाई का पौधा लगाना होगा। *यदि मृत हो/पेड़ पुनः नष्ट, वापस ले जाया जायेगा*
5. पौधा लगाने के पश्चात् प्रत्येक पौधों का जियो टैग फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा तथा संधारण एवं रखरखाव के समय प्रतिमाह प्रत्येक पौधों का जियो टैग फोटोग्राफ प्रस्तुत करने के पश्चात् ही भुगतान के लिये प्रस्तुत किया जावेगा।
6. नगर पालिक निगम भिलाई सीमांतर्गत चयनित या निर्धारित स्थान पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु एजेंसी बाध्य रहेगा।
7. सिंचाई, खाद, दवाई एवं अन्य आवश्यक रखरखाव की संपूर्ण जवाबदारी एजेंसी की होगी।
8. प्रदाय किये जाने वाले पौधों की मोटाई, ऊँचाई और गुणवत्ता प्राक्कलन अनुसार होगी।
9. एस.ओ.आर./आयटम अंतर्गत आयटम में उल्लेखित रखरखाव किये जाने के उपरांत भुगतान देय होगा।
10. श्रम कानूनों का पूर्णतः पालन अनुबंधकर्ता एजेंसी को करना होगा तथा उनके श्रमिकों, कर्मियों के प्रति निगम की कोई जवाबदारी व दायित्व नहीं होगा। लेबर एक्ट श्रम कानून अनुसार श्रमिकों के पीएफ एवं ईएसआईसी की कटौती इत्यादि का पालन व जवाबदारी अनुबंधकर्ता एजेंसी की होगी। लगाये गए श्रमिकों का भुगतान शासन के नियमों के अंतर्गत न्यूनतम श्रमिक दर अनुसार करना होगा।
11. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा रखे गए कर्मचारियों के कार्य समय के दौरान मृत्यु/दुर्घटना के लिए अनुबंधकर्ता एजेंसी जवाबदार होगा। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में नगर निगम भिलाई की कोई जवाबदारी नहीं होगी।



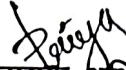
12. सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण उपरांत किये गये सभी निर्देशों का पालन अनुबंधकर्ता एजेंसी को करना अनिवार्य है।
13. एजेंसी/फर्म द्वारा दिया गया दर समस्त टैक्स एवं जीएसटी सहित होगा।
14. किसी भी प्रकार के विवाद या आपत्ति की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।



कार्यप्रालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई



उद्घान अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई



सहायक अभियंता
नगर पालिक निगम,
भिलाई



उपअभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई